

फार्म- (अ)

देखिये नियम 4(1)

सिविल डिफेंस सर्विस के सदस्य की भर्ती का प्रार्थना पत्र

1. पूरा नाम
2. पिता/पति का नाम
3. जन्म तिथि
4. राष्ट्रीयता
5. स्थाई पता
6. पेशा तथा वर्तमान पता
7. नाम व पता जहां काम करते हों

योग्यता

8. भाषा जो जानते हों(पढ़ना लिखना) बोलना
9. क्या आप निम्नलिखित के सदस्य हैं
क)डिफेंस फोर्स(आर्मी/नेवी/हवाई फोर्स) अथवा उनका रिजर्व फोर्स
ख)टेरिटरियल आर्मी या डिफेंस सर्विस की कोई सहायक फोर्स
ग)भारत सरकार की कोई सशस्त्र फौज, सिविलियन कैड, नेवी, आर्मी अथवा हवाई फौज कानून के अंतर्गत
द)पुलिस सर्विस
य)फायर सर्विस
10. क्या आप एक्स सर्विस व्यक्ति हैं, यदि हां तो उसका विवरण
11. क्या आप नेशनल स्वयं सेवक फौज के सदस्य हैं, यदि हां तो उसका विवरण
12. क्या आपको पिछले सिविल डिफेंस सर्विस का अनुभव है?
यदि हां तो उसका विवरण दें तिथि के साथ।
13. क्या आपको जिस विभाग में भर्ती की रुचि है, कोई विशेष योग्यता है?
यदि हां तो उसका विवरण।
14. क्या आपको सिविल डिफेंस सर्विस के किसी विशेष विभाग में भर्ती की रुचि है?
यदि हां तो उसका नाम दें।
15. क्या आपकी रुचि मोबाइल कॉलम अथवा एम्बुलेंस ट्रेन में भर्ती की है तो
क्या आप असाधारण स्थिति उत्पन्न होने की दशा में भारत वर्ष में किसी भी स्थान पर कार्य करने को तैयार हैं?
16. सप्ताह में कितने घंटे व दिन आप सिविल डिफेंस की ड्यूटी के लिए उपलब्ध होंगे
(थोड़े समय के लिए अथवा स्वयंसेवक की हैसियत से)
17. क्या आपके पास कोई सवारी है?
(बाईसिकिल, मोटर कार, मोटरसाइकिल आदि)
18. क्या आप किसी संक्रमण रोग से पीड़ित हैं, यदि हो तो उसका विवरण दें
19. क्या आपको चेचक निकली है, यदि हां तो कब?
20. क्या आपको चेचक का टीका लगा था, यदि हां तो कब?
21. क्या आपको कालरा, टाईफाइड/टी0बी0 का टीका लगा था, यदि हां तो कब?
22. क्या आप प्रारम्भिक चिकित्सा/मोटर चलाना जानते हैं?
23. श्राजकीय चिकित्सालय द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण का प्रमाण पत्र।

प्रार्थी का हस्ताक्षर

घोषणा

1. मैंने सिविल डिफेंस सर्विस नियम 1968 पढ़ लिया है।
2. जहां तक मुझे विदित है मैं कोर की सदस्यता के लिए स्वस्थ हूँ।
3. यदि मेरा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जाता है तो मैं पूरे समय/थोड़े समय के लिए कोर की सदस्यता के लिए तैयार हूँ यानि आवश्यक ट्रेनिंग पाने के लिए जब तक मैं कोर का सदस्य रहूँगा असाधारण स्थिति उत्पन्न होने की दशा में सदस्यता का पूरी जिम्मेदारी से पालन करूँगा।

मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि –

(अ) सिविल डिफेंस कोर के प्रति जो आदेश संबंधित अधिकारी से प्राप्त होंगे उनका पूरा पालन करूँगा।

(ब) कोर की सदस्यता समाप्त होने पर वर्दी, बैज अथवा वयक्तिगत उपयोग के लिए जो भी सामान मुझे मिले होंगे उन सभी को मैं वापस कर दूँगा।

(स) कोर नियमों का पालन करूँगा।

स्थान—

तिथि—

प्रार्थी का हस्ताक्षर

यह फार्म पूर्ण होने भर्ती करने वाले अधिकारी को दे दिया जाए—

नाम व पता

भर्ती करने वाले अधिकारी का

संबंधित सर्विस के

सिविल डिफेंस कोर में भर्ती किये

प्रधान/ स्टाफ आफीसर की

पोस्ट/ सेक्टर

संस्तुति

प्रखण्ड में नियुक्त किये गये

हस्ताक्षर

पद

तिथि

हस्ताक्षर

फार्म—ब

मैं.....पुत्र/पुत्री/स्त्री श्री.....
शपथ पूर्वक कहता हूँ/ कहती हूँ कि मैं भारत सरकार भारत के संविधान के प्रति जो कानून द्वारा स्थापित हुआ है, सच्चाई से वफादार रहूँगा और मुझे जो कर्तव्य सुपुर्द किये जायेंगे उनका वफादारी के साथ पालन करूँगा। ईश्वर मेरी सहायता करे।

हस्ताक्षर

आज श्री.....पुत्र श्री.....मेरे समक्ष
नागरिक सुरक्षा कार्यालय में उपस्थित हुए तथा उनको नियमानुसार शपथ दिलाई गयी।

उपनियंत्रक नागरिक सुरक्षा एवं
अतिरिक्त जिलाधीश।

सर्विस का रिकार्ड

1. नाम

2. पिता/ पति का नाम

3. जाति

4. स्थाई पता

5. प्रखण्ड/वार्डन पोस्ट/ सेक्टर का नाम

6. जन्मतिथि/ आयु
7. पहचान का चिन्ह

8. पद का विवरण

9. नाम नियुक्त करने वाले अधिकारी का नाम

10. नाम व पता दूसरे संबंधी का

11. हस्ताक्षर निशान अंगूठा
- सिविल डिफेंस कंट्रोलर अथवा दूसरे अधिकार प्रदत्त अधिकारी का

सिविल डिफेंस सर्विस		ट्रेनिंग इत्यादि का विवरण								अवकाश जो लिया			व्यक्तिगत सामान		वर्दी इत्यादि			
सर्विस का नाम	कर्तव्य जो सुपुर्द हुआ	आईडेन्टिटी कार्ड	कब से	कब तक	स्केल	वेतन	भत्ता	योग	कर्तव्य विमुक्त कारण स्थानान्तरण इत्यादि	से का	किस प्रकार का अवकाष लिया	कब से	कब तक	समान जो दिया गया तिथि देने की	समान जो वापस हुआ तिथि वापसी की	हस्ताक्षर सिविल डिफेंस कर्मचारी	हस्ताक्षर सिविल डिफेंस अधिकारी	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18

सभी सिविल डिफेंस कर्मचारी के प्रति उपरोक्त फार्म में रिकार्ड रखना चाहिए। ऊपर दिये गये कॉलम 01 से 09 की पूर्ति भर्ती करने के समय कर लेनी चाहिए।
खाना सं0 10 से 18 की पूर्ति जैसी आवश्यकता हो अधिकारी के तस्दीक के साथ की जानी चाहिए।
रिकार्ड किसी जिम्मेदार अधिकारी, जो सर्विस के हेड से कम न हो, के पास रहना चाहिए।